फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ

श्री किशन कुमावत बनाम श्री [illegible] कुमावत

धारा 111,128 वाद/प्रा0प0/अपील प्र0सं0 22/17

आवेदन बाद जाँच वाद/प्रा0प0/अपील प्रस्तुत हुई, जिसका प्रकरण दर्ज रजिस्टर होकर विधियत् प्रकियानुसार विपक्षीगणो/अप्रार्थीगणों को जरिये तलवाना तलबी हो, पत्रावली वास्ते सुनवायी हेतु दिनांक 26.4.17 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
हमीरगढ

26/4/17 पत्रावली पेश उपखण्ड
उपस्थित/[illegible] जी
[illegible] पत्रावली
दिनांक 3/05/17 को पेश हो।

आदेश से रीडर

दिनांक 6 [handwritten, illegible]

[signature]

पीठासीन अधिकारी कुमी रेणु मीणा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 22/2017

1. किशन पुत्र भवाना कुमावत, निवासी खैराबाद, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. रामलाल पुत्र भवाना कुमावत, निवासी खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. देऊ पुत्री भवाना कुमावत, निवासी खैराबाद तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. मांगीया पुत्र उदा कुमावत, निवासी खैराबाद, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. देवा पुत्र भैरू कुमावत, निवासी खैराबाद, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. मोहन पुत्र भैरू कुमावत, निवासी खैराबाद, तहसील हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. भू—राज.अधि., 1956
निर्णय दिनांक 19.06.2017

प्रार्थी की और से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111—128 राज. भू—राज.अधि., 1956 के तहत इस कार्यालय मे दिनांक 21.03.2017 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम खैराबाद प0म0 खैराबाद तहसील हमीरगढ मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 1315 रकबा 02—00 बीघा, आराजी न0 1316 रकबा 0—09 बीघा, आराजी नं0 1317 रकबा 0—14 बीघा, आराजी नं0 1319 रकबा 0—10 बीघा, आराजी नं0 1320/2 रकबा 0—05 बीघा, कुल किता 05 रकबा 03—18 बीघा भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ौसी है। प्रार्थी एंव विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय मे दिनांक 24.03.2017 को पंजीबद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित्त विपक्षी संख्या 01 से 03 बावजूद विधिवत प्रक्रियानुसार सुनवाई का अवसर देने क उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित मे एक तरफा कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी को सुना गया। प्रस्तुत बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली मे उपलब्ध रिकॉर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण क अवलोकन से यह बात है कि प्रार्थी का स्वंय के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख मे किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नही है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किए जाते है। अतः इन तथ्यो को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है ।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है ग्राम खैराबाद प0म0 खैराबाद तहसील हमीरगढ मे उसके खाते की कृषि भूमि आराजी न0 1315 रकबा 02—00 बीघा, आराजी न0 1316 रकबा 0—09 बीघा, आराजी नं0 1317 रकबा 0—14 बीघा, आराजी नं0 1319 रकबा 0—10 बीघा, आराजी नं0 1320/2 रकबा 0—05 बीघा, कुल किता 05 रकबा 03—18 बीघा भूमि की पत्थरगढी राजस्थान लैण्ड रिकॉर्ड नियम 1956 के प्रावधानो मे निर्धारित प्रकिया के अनुसार नियमानुसार निर्धारित शुल्क 400/—रू0 पक्षकार — प्रार्थी राजकोष मे जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/— रू0 की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें ।

आदेश आज दिनांक 19.06.2017 को खुला न्यायालय मे सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर रहें ।

अधिकारी